भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4190
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
4190. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु कोई योजना बनाई है;
(ख) क्या किसानों को एमएसपी का सीधा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई डिजिटल प्रणाली लागू की गई है;
(ग) क्या सरकार ने किसानों के लिए शून्य ब्याज दर पर कोई योजना शुरू की है;
(घ) किसानों के लिए किन राज्यों में ऋण माफी योजना शुरू की गई है;
(ङ) अब तक कितने किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर किसी क्षेत्र या राज्य विशेष के लिए न करके पूरे देश के लिए 22 अधिसूचित कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

(ख): जी हां, सरकार ने एमएसपी खरीद के लिए डिजिटल भुगतान पद्धति का कार्यान्वयन किया है।

(ग) से (च): वर्तमान में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ऋण माफी की कोई योजना प्रचालन में नहीं है। हालांकि, किसानों को उनकी वित्तीय संवेदनशीलता को व्यवस्थित तरीके से दूर करने के लिए, अन्य योजनाएं जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईए) के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है।

i. **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी):** वर्ष 2024-25 (जुलाई से जून तक) के दौरान, खरीद, किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि और लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है।

खरीद (लाख मीट्रिक टन में) (एलएमटी)	**किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि (₹ लाख करोड़ में)**	**लाभान्वित किसानों की संख्या (₹ करोड़ में)**
1,175	3.33	1.84

ii. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)** योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका उद्देश्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। लाभार्थियों के पंजीकरण करने और

सत्यापन करने में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 19 किश्तों के माध्यम से 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का वितरण किया है।

iii. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)** देश में खरीफ 2016 सीज़न से प्रारंभ की गई थी। इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की मार से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है और इसमें किसानों की आय को स्थिर करना आदि भी शामिल है। वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत के बाद से, किसानों ने कुल 35,753 करोड़ रुपये के प्रीमियम का भुगतान किया है और उन्हें 1.83 लाख करोड़ रुपये के दावे (30.06.2025 तक) प्राप्त हुए हैं, जो इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का लगभग 5 गुना है।

iv. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस): सरकार 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसे भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के रूप में जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के तहत धनराशि के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	**वर्ष**	**निधियों का वितरण**
1	2020-21	17,789.72
2	2021-22	21,476.93
3	2022-23	17,997.88
4	2023-24	14,251.92
5	2024-25	17,811.72

v. कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य व्यवहार्य फसलोपरांत प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाना है। इस योजना का उद्देश्य देश में फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना में मौजूदा कमियों (गैप) को दूर करके कृषि क्षेत्र में विकास और आधुनिकीकरण को गति प्रदान करना है। एआईएफ के तहत, ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से 9% की ब्याज दर के साथ 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया गया है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन के कुल मूल्य के अनुपात के आधार पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 1 लाख करोड़ रुपये की योजना का लक्ष्य अस्थायी रूप से आवंटित किया गया है।

एआईएफ के तहत, दिनांक 30 जून 2025 तक 1,13,419 परियोजनाओं के लिए 66,310 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 107,502 करोड़ रुपये का निवेश किया है। एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 30,202 कस्टम हायरिंग केंद्र, 22,827 प्रोसेसिंग यूनिट, 15,982 गोदाम, 3,703 छंटाई और ग्रेडिंग यूनिट, 2,454 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं, लगभग 38,251 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां शामिल हैं।

*****